न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019 / 00010 (10 / 2019)

श्रीमति लालीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मनफूलराम आयु 73 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0) –अपीलान्ट / तृतीय पक्षकार

बनाम

1. स्टेट, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   –रेस्पोडेंट / प्रार्थी
2. मिरचूमल पुत्र श्री लाधुमल, जाति सिन्धी साकिन बिलोचावाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. पाहुजा पुत्र श्री हीरनाराम जाति सिन्धी निवासी बिलोचावली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   –रेस्पोडेंट / अप्रार्थीगण

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्र0 संख्या निल / 2017 बअनवानी तहसील बनाम मिरचूमल आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

अपील अधिकारी राजस्व हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक – 30.07.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा के पत्र क्रमांक राजस्व / 2017 / 2695 दिनांक 05.12.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 एलजीडब्ल्यू बीके प. नं. 24 / 288 मु0 नं0 49 किला नं. 2 ता 5 / 1 की 0.886 है0, नहरी 0.798, गै0मु0 खाला 0.088 है0, भूमि वर्तमान में पाहुजा: पुत्र हीरनाराम जाति सिंधी साकिन बिलाचावाला अलॉटी व प. नं. 24 / 288 (49) 5 / 2 की 0.126 है0, नहरी 0.113 है0, खाला 0.013 है0 भूमि मिरचूमल पुत्र लाधुमल जाति सिन्धी साकिन बिलोचावाला अलॉटी जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मौका पर भूमि पर किसी प्रकार की फसल या काश्त नहीं है तथा पूछ--ताछ में पिछले कई वर्षों से खाली होना बताया है तथा भूमि पर कब्जा नहीं होना बताया, अलॉटी के वारिसान का पता नहीं होना जाहिर किया एवं वर्तमान में भूमि का कोई मालिक नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि को राज्यहित में रकबाराज [illegible] किया एवं तहसीलदार को आदेश दिये कि भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपलाधीन आदेश के द्वारा आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये है। जबकि इस भमि पर अपीलांट हिस्सा बटाईदार की हैसियत से काबिज है तथा फसल चक्र समाप्त होने से पूर्व इस भूमि की Holding over tenant है। उसकी हैसियत शिकमी काश्तकार (उपकृषक) की है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में उसे बेदखल कर दिये जाने से उसके विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इस कारण अपीलांट बतौर तृतीय पक्षकारयह अपील अनुमति अधीन प्रस्तुत की धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में काश्तकारी अधिकारों को समाप्त (Extinction)किये जाने के उपबन्धों के अधीन ही किसी काश्तकार के काश्तकारी धिकार समाप्त हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (25) के अन्तर्गत भी किसी काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि व्यक्तिगत रूप से काश्त करने का विधितः आवश्यक नहीं है। बल्कि वह अपनी भूमि किसी अन्य को हिस्सा बटाई अथवा ठेका पर देते हुए भी काश्त करवाने के लिए अधिकृत है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के सही पता पर नोटिस जारी नहीं किये गये। अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। डिले कन्डोन की जावे एवं धारा 96 सपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर अपील पेश की है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वह भूमि पर साधिकार काबिज है। जमाबन्दी में भूमि अलॉटी के नाम दर्ज है। मौका पर भूमि पर किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं है तथा पूछ–ताछ में पिछले कई वर्षों से खाली होना बताया है तथा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है, अलॉटी के वारिसान का पता नहीं है एवं वर्तमान में भूमि का कोई मालिक नहीं होना बताया, जिसके कारण भूमि को रकबा राज घोषित किया है। अपीलाण्ट प्रभावति पक्षकार नहीं है तथा अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की है उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के सशपथ प्रार्थना–पत्र में स्वयं प्रश्नगत भूमि की शिकमी काश्तकार होना तथा फसल चक्र समाप्त होने से इस भूमि की Holding over tenant होना बताया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट ने काबिज होना बताया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपीलाण्ट के इस तर्क का खण्डन सशपथ नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

8. जहां तक गुणागुण पर प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि के मूल आवंटीगण का पता नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट की कब्जा काश्त होने व प्रश्नगत भूमि की शिकमी काश्तकार होना तथा फसल चक्र समाप्त होने से इस भूमि की Holding over tenant होने के तथ्यों पर अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा के आदेश दिनांक 27.12.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested